



राजस्थान-सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं० : 0141-2224878

क्रमांक: एक040/एमएनजेवाई/बीएफसी/2014-15/ 534

ई-मेल: rmsc.mnjy@gmail.com
दिनांक: 8.12.14


अति-आवश्यक
प्रथम स्मरण पत्र

संबंधित संयुक्त निदेशक जोन,
संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय: नवसृजित एवं क्रमोन्तत सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्यमंत्री निश्चुल्क जांच योजना से संबंधित सूचना नहीं भिजवाने के संबंध में।

राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों द्वारा नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सृजन एवं क्रमोन्मयन किया गया है।

पूर्व में भी आपको पत्रांक 394 दिनांक 14.11.14 द्वारा आपके अधीन नवसृजित एवं क्रमोन्तत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संलग्न प्रोफार्मा में 1. आधारभूत संरचना 2. मानव संसाधन 3. उपकरण 4. रिपुजेण्ट्स एवं कन्स्यूमेबल्स से संबंधित सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा उपरोक्त सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई। अतः आप अतिशीघ्र संलग्न प्रोफार्मा में सूचना आज ही rmsc.mnjy@gmail.com पर भिजवावें ताकि इनका प्रस्ताव BFC में भिजवाया जा सके।



परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री निश्चुल्क जांच योजना
राजस्थान, जयपुर

दिनांक :

क्रमांक: एक04 () एमएनजेवाई/बीएफसी/2014-15/

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, आरएमएससी एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, चि0स्वा0 विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
4. नोडल अधिकारी, एमएनजेवाई, जयपुर।
5. सक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री निश्चुल्क जांच योजना
राजस्थान, जयपुर